राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(जी 3480/2013)/अलेसे–II/ 987 दिनांक :– 24.02.2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय कोषाधिकारी, प्रतापगढ़, राजस्थान के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नं. 20703512 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री गेबीलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। हाल पदस्थापन कार्यालय उपकोष पीपलखूंट जिला प्रतापगढ द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम में सुरक्षित लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का दुरूपयोग कर विभिन्न पेंशनर्स के बैंक खातों को बदल कर स्वयं के परिवारजनों के बैक खाते अपडेट कर प्रथम दृष्टया पेंशन राशि का गबन पाये जाने पर श्री गेबीलाल मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन है।

राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गेबीलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं.10343) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में श्री मीणा का मुख्यालय कार्यालय कोषालय कोटा में रहेगा। श्री गेबीलाल मीणा को निलम्बन अवधि में राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 53(1)(a) के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

24/2/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(जी 3480/2013)/अलेसे–II/ 987 दिनांक :– 24.02.2026

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त, (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
4. कोषाधिकारी कोषालय, प्रतापगढ़।
5. कोषाधिकारी कोषालय, कोटा।
6. उपकोषाधिकारी, उपकोषालय, पीपलखूंट।
7. संयुक्त निदेशक (आई.टी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री गेबीलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय उपकोष पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)